न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 49 / 2022

1 मन्जू देवी पत्नी प्रभूदयाल।
2 विधा पुत्री सुरजाराम।
3 विनोद देवी पत्नी धर्मेन्द्र।
4 संतोष पत्नी महेश कुमार।
5 सुमन कुमारी पुत्री सुरजाराम समस्त जाति जाट निवासीगण गोठड़ा भूकरान तहसील धोद जिला सीकर।
6 संतोष देवी पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी झीगर बड़ी तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 कार्तिक पुत्र श्रवण कुमार नाबालिग जाति जाट निवासी गोठड़ा भूकरान तहसील धोद जिला सीकर जरिये संरक्षिका माता सरिता पत्नी श्रवण कुमार जाति जाट निवासी झीगर बड़ी तहसील धोद जिला सीकर।
2 सुरजाराम दत्तक पुत्र नन्दाराम।
3 श्रवण पुत्र सुरजाराम समस्त जाति जाट निवासीगण गोठड़ा भूकरान तहसील धोद जिला सीकर।
4 प्रबन्धकक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कुदन तहसील धोद जिला सीकर।
5 उप पंजियक धोद तहसील धोद जिला सीकर।
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील ... सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 05.04.2022 मुकदमा नम्बर 105/2021 बउनवानी कार्तिक बनाम सुरजाराम न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट।

अपील संख्या 50/2022

1 मन्जू देवी पत्नी प्रभूदयाल।
2 विधा पुत्री सुरजाराम।
3 विनोद देवी पत्नी धर्मेन्द्र।
4 संतोष पत्नी महेश कुमार।
5 सुमन कुमारी पुत्री सुरजाराम समस्त जाति जाट निवासीगण गोठड़ा भूकरान तहसील धोद जिला सीकर।
6 संतोष देवी पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी झीगर बड़ी तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 कार्तिक पुत्र श्रवण कुमार नाबालिग जाति जाट निवासी गोठड़ा भूकरान तहसील धोद जिला सीकर जरिये संरक्षिका माता सरिता पत्नी श्रवण कुमार जाति जाट निवासी झीगर बड़ी तहसील धोद जिला सीकर।
2 सुरजाराम दत्तक पुत्र नन्दाराम।
3 श्रवण पुत्र सुरजाराम समस्त जाति जाट निवासीगण गोठड़ा भूकरान तहसील धोद जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

4 सरोज देवी पत्नी नेमीचन्द जाति जाट निवासी नानी तहसील व जिला सीर।

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 26.04.2022 मुकदमा
नम्बर 43/2022 बउनवानी कार्तिकक बनाम सुरजाराम
न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर अपील
अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सत्यवीर सिंह चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री देवेन्द्र कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 18/11/22

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 105/2021 दिनांक 05.04.2022 एवं 43/2022 में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनो पत्रावलियों में प्रथक –प्रथक रखी जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी कार्तिक ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर ग्राम गोठड़ा भूकरान की भूमि खसरा नम्बर 1625/869,1626/869,1648/934,1649/934, 1650/934,1651/899,1652/899,1653/900,1654/900,494,778,879, 896, 901, 902,903,869,899,934 में प्रार्थी के हक हिस्से 1/16 हिस्से तक अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से उपरोक्त खसरा नम्बर की सम्पूर्ण भूमि पर अन्तरिम स्थगन जारी कर दिया। इससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण की ओर से यह अपीले प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय में उपरोक्त खसरा नम्बर में स्वंय का 1/16 हिस्सा बताकर अपने हिस्से तक स्थगन चाहा था। विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण रकबे पर स्थगन जारी कर दिया है। अत अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर प्रार्थी के 1/16 हिस्से तक स्थगन जारी किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि 1/16 हिस्से तक स्थगन जारी रख शेष स्थगन अपास्त किये जाने में उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोककन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय में उपरोक्त खसरा नम्बर में स्वंय का 1/16 हिस्सा बताकर अपने हिस्से तक स्थगन चाहा था। विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण रकबे पर स्थगन जारी कर दिया है। रेस्पोडेंट द्वारा इस बिन्दु पर सहमती प्रदान की गई है कि प्रार्थी के 1/16 हिस्से पर स्थगन जारी रखते हुए शेष स्थगन अपास्त किये जाने में उन्हे आपत्ति नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 26.04.2019 एवं 05.04.2022 को अपास्त किया जाता है एवं विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित आवेदन धारा 212 के अन्तिम निस्तारण तक उभयपक्ष को ग्राम गोठड़ा भूकरान की भूमि खसरा नम्बर 1625/869, 1626/869,1648/934,1649/934,1650/934,1651/899,1652/899, 1653/900, 1654/900, 494,778, 879, 896, 901, 902,903,869,899,934 की 1/16 हिस्से तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18-11-22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते